रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 46] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 1998/माघ 30, 1919
No. 46] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 1998/MAGHA 30, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1998

सं. 10/98-एनटी-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 77(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) संशोधन नियम, 1998 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) नियम, 1988 के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"10क. घोषित मूल्य का नामंजूर किया जाना—(1) जब उचित अधिकारी के पास किसी आयातित माल के संबंध में घोषित मूल्य के सत्य या सही होने पर शंका करने का कारण हो तब वह ऐसे माल के आयातकर्ता से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जिसके अंतर्गत दस्तावेज या अन्य साक्ष्य है, देने के लिए कह सकेगा और यदि ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् या ऐसे आयातकर्ता की किसी प्रतिक्रिया के अभाव में उचित अधिकारी के पास इस प्रकार घोषित मूल्य के सत्य या सही होने के बारे में फिर भी उचित शंका बनी रहती है तो यह समझा जाएगा कि ऐसे आयातित माल का मूल्य नियम 4 के उपनियम (1) के उपबंधों केअधीन अवधारित नहीं किया जा सकता है।

(2) किसी आयातकर्ता के अनुरोध पर उचित अधिकारी, आयातकर्ता को, ऐसे आयातकर्ता द्वारा आयातित मालों के संबंध में घोषित मूल्य की सत्यता या सही होने के संबंध में शंका करने के लिए आधार लिखित में संसुचित करेगा और उपनियम (1) के अधीन अंतिम विनिश्चय करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।"

[फा. सं. 467/114/97-सीशु. V]

सीमा जी॰ जेरे, अवर सचिव

463 GI/98

टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 18 जुलाई, 1988 की अधिसूचना सं. 51/88 सी. शु. (गै. टै.) द्वारा सा. का. नि. सं. 800(अ) तारीख 18-07-88 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और, इन्हें :

(1) दिनांक 10-08-1988 की अधिसूचना सं. 53/88-सी. शु. (गै. टै.), सा. का. नि. सं. 851(अ), तारीख 10-8-98
(2) दिनांक 19-12-1989 की अधिसूचना सं. 71/89-सी. शु. (गै. टै.), सा. का. नि. सं. 1055(अ), तारीख 19-12-89
(3) दिनांक 05-07-1990 की अधिसूचना सं. 39/90-सी. शु. (गै. टै.), सा. का. नि. सं. 619(अ), तारीख 5-7-90
(4) दिनांक 03-08-1990 की अधिसूचना सं. 44/90-सी. शु. (गै.टै.), सा. का. नि. सं. 695(अ), तारीख 3-8-90
(5) दिनांक 01-10-1991 की अधिसूचना सं. 67/91-सी.शु. (गै.टै.), सा. का. नि. सं. 612(अ), तारीख 1-10-91
(6) दिनांक 24-04-1995 की अधिसूचना सं. 26/95-सी. शु. (गै. टै.), सा. का. नि. सं. 358(अ), तारीख 24-4-95 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 1998

No. 10/98-NT-CUSTOMS

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 1988, namely :—

1. (i) These rules may be called the customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Amendment Rules, 1998.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After rule 10 of the Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 1988, the following rule shall be inserted, namely :—

"10A. Rejection of declared value :—(1) When the proper officer has reason to doubt the truth or accuracy of the value declared in relation to any imported goods, he may ask the importer of such goods to furnish further information including documents or other evidence and if, after receiving such further information, or in the absence of a response of such importer,the proper officer still has reasonable doubt about the truth or accuracy of the value so declared, it shall be deemed that the value of such imported goods cannot be determined under the provisions of sub-rule (1) of rule 4.

(2) At the request of an importer, the proper officer, shall intimate the importer in writing, the grounds for doubting the truth or accuracy of the value declared in relation to goods imported bysuch importer and provide a reasonable opportunity of being heard, before taking a final decision under sub-rule (1)."

[F. No. 467/114/97-Cus. V]
SEEMA G. JERE, Under Secy.

NOTE :—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. 51/88-Cus. (N.T), dated 18th July, 1988 GSR 800 (E) dt. 18-07-88 and amended by notifications.

(1) No. 53/88-Cus. (N.T.), dated 10-08-1988; GSR 851 (E) dt. 10-8-98
(2) No. 71/89-Cus. (N.T.), dated 19-12-1989; GSR 1055 (E) dt. 19-12-89
(3) No. 39/90-Cus. (N.T.), dated 05-07-1990; GSR 619(E) dt. 5-7-90
(4) No. 44/90-Cus. (N.T.), dated 03-08-1990; GSR 695(E) dt. 3-8-90
(5) No. 67/91-Cus. (N.T.), dated 01-10-1991; GSR 612(E) dt. 1-10-91
(6) No. 26/95-Cus. (N.T.), dated 24-04-1995; GSR 358(E) dt. 24-4-95

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998